संख्याः 1715 / XXIV-3/11/02(126)06

164

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 13 दिसम्बर, 2011

विषयः– राजकीय इण्टर कालेज, चौकुनी, अल्मोड़ा के चालू भवन निर्माण कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 5ख (2)/63363/वृहद निर्माण/2011–12 दिनांकः 22 नवम्बर, 2011 के सम्बन्ध में तथा शासनादेश संख्याः1988/XXIV-/3 /07/02 (126) 06 दिनांकः 13 मार्च, 2008, शासनादेश संख्याः453/XXIV-3 /09 / 02 (17) 09 दिनांकः 27 मार्च, 2009 एवं शासनादेश संख्याः 1481/XXIV-/3 /10 / 02 (126) 06 दिनांकः 18 अक्टूबर,, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कि श्री राज्यपाल महोदय एस0सी0एस0पी0 योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में निम्नांकित तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित राजकीय इण्टर कालेज, चौकुनी अल्मोड़ा के भवन निर्माण हेतु स्तम्भ–3 में उल्लिखित अनुमोदित लागत रू0 109.20 लाख के सापेक्ष स्तम्भ–4 में अंकित पूर्व में स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए स्तम्भ–5 पर अंकित विवरणानुसार कुल रू0 0.84 लाख (रूपये चौरासी हजार मात्र) की धनराशि को प्रश्नगत योजनान्तर्गत आपके निवर्तन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख रूपयों में)

क्र.स.	विद्यालय का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5
1.	राजकीय इण्टर कालेज चौकुनी, अल्मोड़ा	109.20	108.36	0.84
		109.20	**108.36**	**0.84**

(1) उपर्युक्त विद्यालय के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र के ग्रामों/वार्डो में स्थित होने पर ही धनराशि को व्यय किया जायेगा। उक्त कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 475/XXVII (07)08 दिनांकः 15.12.2008 के अनुसार हस्ताक्षरित किये गये एम0ओ0यू0 के अनुसार कार्य को समयबद्धता के आधार पर पूर्ण कराकर भवन विभाग को हसतगत करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः–2

(.2) आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आंगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(.3) उक्त कार्य को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तगत करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाय। बिलम्ब के कारण किसी भी दशा में आंगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(4) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(5) एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(6) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(7) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल की भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

(8) आंगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(9) निर्माण समाग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय। निर्माण सामग्री क्रय किये जाने से पूर्व मानकों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(10) जी0पी0 डब्लू फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आंगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

(11) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV–219 (2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(12) निर्माण की गुणवत्ता के लिए सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

क्रमशः–3

उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहॉ। आवश्यक हो व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन एवं महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–30 के अधीन लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01–सामान्य शिक्षा, 202–माध्यमिक शिक्षा, 00–आयोजनागत, 02–अनु0सू0जा0 के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, 0201–अ0सू0जा0 बाहूल्य क्षेत्रों में रा0हा0, इ0का0 के भवनहीन भवनों का निर्माण, 24–वृहत् निर्माण के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:297(P)XXVII(3) 2011-12 दिनांकः 08 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
सचिव।

पृष्ठांकनसंख्याः 1715/XXIV-3/11/ 02(126)06 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
6– आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7– अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
8– जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
9– कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
10– जिला शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा।
11– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संशाधन निदेशालय सचिवालय।
12– वित्त विभाग(अनुभाग–3)/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
13– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
14– सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी।
15– भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
16– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0पी0तिवारी)
अनुसचिव।